**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

**राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017**

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 60 / 2017 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. उदयराम पिता भैरूलाल कुमावत निवासी धूलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्याम लाल पिता सोहनलाल कुमावत निवासी रूपा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. गोमी विधवा बलाई निवासी सरेवडी का बाडिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. मांगीलाल पिता श्रीराम बलाई निवासी सरेवडी का बाडिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. छोगा पिता मिया राम बलाई निवासी सरेवडी का बाडिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. नैना पिता हीरा बलाई निवासी सरेवडी का बाडिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. नौला पिता कस्तुत कुम्हार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. लच्छु पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. रतन पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. मोहन पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. गणेश पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. हजारी पिता कालु कुम्हार निवासी सरेवडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

**निर्णय**

दिनांक 18.05.2017

पत्रावली **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प भीटा में** पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है, प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात **ग्राम सरेवडी का बाडिया पटवार हल्का सरेवडी तहसील रायपुर** के बैरून हल्का आबादी मे स्थित खाता सख्या 25 में अंकित आराजी संख्या 1047 रकबा 1.49 हे0, कुल किता 01 कुल रकबा 1.49 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारो तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात मे मवैशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आये दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे दखंल अन्दाजी करते रहते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परन्तु विपक्षीगण नही मान रहे है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा परन्तु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत दिनांक 04.05.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 08.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण संख्या 1 से 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार

निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

**आदेश**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर **ग्राम सरेवडी का बाडिया पटवार हल्का सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित खाता सख्या 25 में अंकित आराजी संख्या 1047 रकबा 1.49 हे0, कुल किता 01 कुल रकबा 1.49 है0 भूमि स्थित है।** उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे 350/— अक्षरे तीन सौ पच्चास रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 350/— अक्षरे तीन सौ पच्चास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

18/5/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
18/5/17